संख्या-172/2026/690के-2/22-3-2025-17(821)/23

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 25 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र पुत्र श्री देवदत्त, निवासी जनपद-बदायूँ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025), दिनांक 25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र पुत्र श्री देवदत्त, जो अल्लापुर चमारी, थाना-उझानी, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। बंदी ने पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28-08-2006 को 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हथगोला व नाजायज हथियारों से चौब सिंह व बब्लू नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर सोने की चेन, लाईसेन्सी बन्दूक, तीस हजार रूपये व मोबाइल लूटकर ले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण सं0-109/2006 में आयुध अधिनियम की धारा-25 एवं (2) सत्र परीक्षण सं0-117/2006 में भा0द0वि0 की धारा-396, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, बदायूँ के आदेश दिनांक 24-09-2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा (3) केस नं0-200/07 में यू0पी0जी0 एक्ट की धारा-2/3 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, ए0एस0जे0-05/जी एक्ट, बदायूँ के आदेश दिनांक 06-01-2022 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जमानत/मुचलके पर रिहाई दिनांक 02.07.2022 तक 15 वर्ष, 10 माह की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 09 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 02-07-2022 तक बन्दी की आयु 53 वर्ष, 01 माह, 24 दिन है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आने, रिहा होने पर समाज में भय व्याप्त होने की संभावना होने, बंदी द्वारा अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने की संभावना के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा 02 व्यक्तियों की हत्या करने व रूपये व जेवर लूटने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारण बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र पुत्र श्री देवदत्त को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र (बंदी संख्या-47746) पुत्र श्री देवदत्त, निवासी जनपद-बदायूँ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-690(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**शासनादेश संख्या-172/2026/690के-2/22-3-2025-17(821)/23**

**दिनांक 25 मई, 2026 का संलग्नक**

**सरकार के आदेश**

**केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र पुत्र श्री देवदत्त, जो अल्लापुर चमारी, थाना-उझानी, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। बंदी ने पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28-08-2006 को 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हथगोला व नाजायज हथियारों से चौब सिंह व बब्लू नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर सोने की चेन, लाईसेन्सी बन्दूक, तीस हजार रूपये व मोबाइल लूटकर ले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण सं0-109/2006 में आयुध अधिनियम की धारा-25 एवं (2) सत्र परीक्षण सं0-117/2006 में भा0द0वि0 की धारा-396, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, बदायूँ के आदेश दिनांक 24-09-2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा (3) केस नं0-200/07 में यू0पी0जी0 एक्ट की धारा-2/3 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, ए0एस0जे0-05/जी एक्ट, बदायूँ के आदेश दिनांक 06-01-2022 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जमानत/मुचलके पर रिहाई दिनांक 02.07.2022 तक 15 वर्ष, 10 माह की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 09 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 02-07-2022 तक बन्दी की आयु 53 वर्ष, 01 माह, 24 दिन है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आने, रिहा होने पर समाज में भय व्याप्त होने की संभावना होने, बंदी द्वारा अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने की संभावना के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

**प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा 02 व्यक्तियों की हत्या करने व रूपये व जेवर लूटने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारण बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र पुत्र श्री देवदत्त को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।**

**उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।**

**कमलेश कुमार**
**उप सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in